

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tcpaharyana.gov.in](http://tcpaharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं)

### प्रोजेक्ट के विवरण

**1. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृतियाँ / कोलोनाइज़र / डेवलपर :** स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदार - श्री प्रदीप, श्री संदीप, श्रीमती नीरा, श्रीमती चंद्र बाला; लाइसेंस नं. / वर्ष - 14/2016 दिनांक 26.09.2016 बिल्डिंग प्लान स्वीकृति की तिथि : 09.01.2017 में से नं. ZP-1130/SD(BS)/2017/487.

**2. स्थान :** सेक्टर 36, सोहना रोड, दक्षिणी गुरुग्राम | **3. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान :** 9.775 एकड़ में कुल 1304 अपार्टमेंट होंगे जिनमें 5% प्लैट मैनेजमेंट कोटा में आरक्षित होंगे और 95% प्लैट सर्वसाधारण के लिए। | **4. सर्वसाधारण के लिए अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 1:** 48 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 488.11 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक अँगनवाड़ी—सह—क्षेत्र। | **4. सर्वसाधारण के लिए अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 1:** 48 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 488.11 वर्गफुट और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.31 वर्गफुट लगभग (7.37 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | **• कैटेगरी 2:** (i) 519 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 583.04 वर्गफुट लगभग (54.17 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 110.31 वर्गफुट लगभग (10.25 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (ii) 38 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 583.04 वर्गफुट लगभग (54.17 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 88.74 वर्गफुट लगभग (8.24 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (iii) 13 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 583.04 वर्गफुट लगभग (54.17 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 89.13 वर्गफुट लगभग (8.28 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (iv) 574 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 531.57 वर्गफुट लगभग (49.38 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 82.12 वर्गफुट लगभग (7.63 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (v) 34 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 584.34 वर्गफुट लगभग (54.29 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 108.24 वर्गफुट लगभग (10.06 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (vi) 13 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 609.77 वर्गफुट लगभग (56.65 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 113.73 वर्गफुट लगभग (10.57 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग।

**MQ के अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 3:** (i) 2 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 532.53 वर्गफुट लगभग (49.47 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 89.53 वर्गफुट लगभग (8.32 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (ii) 2 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 551.24 वर्गफुट लगभग (51.21 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 89.53 वर्गफुट लगभग (8.32 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (iii) 56 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 644.92 वर्गफुट लगभग (59.91 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 104.29 वर्गफुट लगभग (9.69 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | (iv) 15 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 584.34 वर्गफुट लगभग (54.29 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 108.24 वर्गफुट लगभग (10.06 वर्गमीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। | **5. अपार्टमेंट की आवंटन दर (सब मिलाकर) + कर जो लागू हो :** कैटेगरी 1: रुपये 17,96,851 • कैटेगरी 2: (i) रुपये 2,148,944 (ii) रुपये 2,143,314 (iii) रुपये 2,143,509 (iv) रुपये 19,54,712 (v) रुपये 2,153,624 (vi) रुपये 2,245,172 • कैटेगरी 3: (i) रुपये 1,961,873 (ii) रुपये 2,029,229 (iii) रुपये 2,371,712 (iv) रुपये 2,153,624. उपरोक्त मूल्य 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 की नीति के तहत निर्धारित दर से प्रति अपार्टमेंट कुल राशि है। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tcpaharyana.gov.in](http://tcpaharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं) | **6. भुगतान के नियम :** i. आवेदन के साथ: बुकिंग की राशि अर्थात् प्लैट मूल्य का 5% • कैटेगरी 1: रुपये 89,843 • कैटेगरी 2: (i) रुपये 107,447 (ii) रुपये 1,07,166 (iii) रुपये 1,07,175 (iv) रुपये 97,736 (v) रुपये 1,07,681 (vi) रुपये 1,12,259 • कैटेगरी 3: (i) रुपये 98,094 (ii) रुपये 101,461 (iii) रुपये 118,586 (iv) रुपये 107,681 ii. आवंटन पर प्लैट मूल्य का 20% अतिरिक्त • कैटेगरी 1: रुपये 3,59,370 • कैटेगरी 2: (i) रुपये 429,789 (ii) रुपये 4,28,663 (iii) रुपये 4,28,702 (iv) रुपये 3,90,942 (v) रुपये 430,725 (vi) रुपये 449,034 • कैटेगरी 3: (i) रुपये 392,375 (ii) रुपये 405,846 (iii) रुपये 474,342 (iv) रुपये 107,681 | बाकी 75% राशि का तीन वर्षों में 6 बाराबर मासिक किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले व्याज नहीं लगेगा। | भुगतान में असफल रहने पर विलंब की अवधि के लिए सालाना 15% व्याज लगेगा। | **7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण • प्लॉरिंग :** कमरों में विट्रिफाइट टाइल्स, किचन में विट्रिफाइट/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्लिकड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्लिकड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • छिक्कियाँ: IS कोड के अनुसार MS सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम: लाल मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटड/UPVC • वॉल टाइल: 4 फुट/ 7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑंगल बांडेड डिरेटर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • टीवार: ऑंगल बांड डिस्टॉपर • सेनिटरी फिटिंग: ISI मार्क CP फिटिंस, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग: ISI मार्क 8. **आवेदन की समय सीमाएँ:** i. आवेदन पत्र आवेदन शुल्क 1000 रुपये जमाकर आरंभिक तिथि 13.01.2017 से स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त और जमाकर सकते हैं। | लाइसेंस नं. 14/2016 दिनांक: 26.09.2016 ii. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.02.2017 से बढ़ा कर 28.02.2017 कर दी गई है। | **योग्यता :**

1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी कराकर करने पर रोक नहीं हो। | 2. आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है पर उस आवेदक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिसका खुद या पत्ती (पति), आश्रित बेटे / बेटी के नाम हुडा द्वारा विकसित किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में कोई प्लैट/प्लॉट आवंटित नहीं हो। | 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदक कर सकता है। | इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। | यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक प्लैट चुनना होगा। | **आवंटन के मानक :** 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के समान लॉट्सी से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्क वार्यालय), संबद्ध जिलों के डीटीपी और संबद्ध कॉलोनीज़र के प्रतिनिधि होंगे। | 2. लॉट्सी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। | विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्सी की तिथि और राशन के विवरण दिए जाएंगे। | 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जांच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध हैं। | (विवरण विभागीय वेबसाइट [tcpaharyana.gov.in](http://tcpaharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं)

EMD FINANCE AVAILABLE:



BUSINESS ASSOCIATES:



**THE Serenae™**

SECTOR 36, SOHNA, SOUTH OF GURUGRAM

\*T&C apply ( According to Haryana affordable housing policy) 1sq.mtr.= 10.764sq.ft.